BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 34/2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023

IN THE MATTER OF:

Ravendra Singh **...APPLICANT**

VERSUS

NHAI & Ors. **...RESPONDENTS**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-8
2.	**Annexure P/1** True Copy of Letter Dated 11.06.2025 sent by The Project Manager, C&DS, U.P. Jal Nigam, Agra	9
3.	**Annexure P/2** True Copy of Letter Dated 16.06.2025 sent by the Municipal Commissioner, Agra	10
4.	**Annexure P/3** True Copy of the Minutes of meeting dated 17.05.2025 convened by the District Magistrate, Agra	11-13

5.	**Annexure P/4** True Copy of Letter dated 02.07.2025 sent by Project Director, NHAI	14-15
6.	**Annexure P/5** True Copy of Letter dated 07.07.2025 sent by the Municipal Commissioner, Agra	16-17
7.	**Annexure P/6** True Copy of Letter dated 01.08.2025 sent by the Executive Engineer, PWD, Agra	18-20
8.	**Annexure P/7** True Copy of the Minutes of Meeting dated 11.07.2025 organized by the District Magistrate, Agra.	21-23
9.	**Annexure P/8** True Copy of Show Cause Notices dated 19.08.2025	24-36
10.	Proof of Service	37

THROUGH ADITYA VAIBHAV SINGH
Counsel for UPPCB
A-394, Defense Colony
New Delhi- 110024

PLACE: NEW DELHI
DATE: 20.08.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 34/2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023

IN THE MATTER OF:

Ravendra Singh ...**Applicant**

Versus

NHAI & Ors. ...**Respondent**

REPORT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 06.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Amit Mishra, aged about 45 years, S/o Shri D.P. Mishra, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"), Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the above-noted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and am authorized to swear the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

2. That the contents of the report have been drafted by my counsel under my instructions and the same are true and correct to my

knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

3. That by mean of the Original Application No. 338/2023, the applicant has raised the grievance against the inaction of authorities in cleaning the drain in Gauri Kunj and the service lane of the National Highway – 3, Agra, Uttar Pradesh.

4. That upon considering the matter this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter "Hon'ble Tribunal") vide its order dated 22.05.2023 has disposed the Original Application No. 338/2023 with direction that the grievance needs to be looked into and remedial action in accordance with law by a Joint Committee of Agra Development Authority, UPPCB and District Magistrate, Agra.

5. That by this present execution application, applicant has sought the compliance of the order dated 22.05.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 338/2023.

Considering the present execution application this Hon'ble Tribunal vide its order dated 01.10.2024 has directed the applicant to serve the copy of the original application to the respondents to file their compliance report.

In compliance to the order dated 01.10.2024, the UPPCB has filed its compliance report before this Hon'ble Tribunal on 21.01.2025 for consideration, wherein UPPCB have been made following suggestions:

i. It is recommended that proper drains should be constructed on the both side of the service road side by National Highway

S.No. 1364/2025 20/2/2025

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

Authority of India, so that water does not accumulate on the service road.

ii. *Proper arrangement for the disposal of domestic sewage/ treated sewage should be done by the colonies approved by Agra Development Authority, so that there is no water logging/flooding on the service road of National Highway Authority of India.*

iii. *The Agra Development Authority should ensure that disposal of domestic sewage is done as per the condition incorporated during the approval of the layout plan of the colonies situated between village Rohta to village Kakua.*

6. That further the present matter is taken up on 24.01.2025, this Hon'ble Tribunal vide its order has directed the other concerned respondents to file their compliance reports.

Further, vide its order dated 06.05.2025 this Hon'ble Tribunal has directed the UPPCB to obtain an instruction in respect of the action taken against the violators and submit a fresh report.

7. That in compliance to the above direction passed by this Hon'ble Tribunal the report of UPPCB is as under;

A. Infrastructure Estimate for Drain Construction

- The Project Manager, C&DS, Unit-35, U.P. Jal Nigam (Urban), Agra, vide letter no. 661/Estimation/46 dated 11.06.2025 has forwarded a submission regarding preliminary estimated amount of ₹ 10,863.45 lakh for construction of RCC drains on both sides from Sevala

S.No 01/1364/2025 30/8/2025

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

Sarai to Kakua Canal in District Agra to the Municipal Commissioner, Agra Municipal Corporation.

A true copy of the letter dated 11.06.2025 is being annexed herewith as **Annexure-1**.

- Subsequently, the Municipal Commissioner, Agra vide its letter no. 362/D/EE-/25 dated 16.06.2025 has sent a request to the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow to release of the said amount.

  A true copy of the letter dated 16.06.2025 is being annexed herewith as **Annexure-2**.

B. Review Meeting by District Magistrate, Agra

- That in compliance to the order dated 24.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter, a meeting was convened by the District Magistrate, Agra on 06.05.2025 for effective action and monitoring. Minutes of meeting were issued vide letter no. 185/L-246/2025 dated 17.05.2025.

  A true copy of the Minutes of Meeting dated 17.05.2025 is being annexed herewith as **Annexure-3**.

C. Status from National Highways Authority of India (NHAI)

- The Project Director, NHAI – PIU, Gwalior (M.P.), vide its letter no. NHAI/PIU-Gwalior/Agra-Gwalior (Km 8 to 13)/2025/15942 dated 02.07.2025 has informed that the road section from Km 08.000 to Km 13.000 of NH-3 lies within Agra city. It is also informed that the maintenance

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

was earlier managed through a concessionaire under an agreement dated 28.10.2014, expired on 01.05.2024.

- As per guidelines dated 30.11.1997 and 12.04.1982 of the Ministry of Road Transport & Highways, the road section was automatically transferred to the State Government from 01.05.2024. Despite the transfer, pothole repairs and installation of cement concrete interlocking tiles over a 300-meter stretch were undertaken by the concerned office to address public grievances. Further, an estimated cost of ₹499.38 lakh (including GST) was submitted by the Executive Engineer, PWD, Agra and approved by NHAI. 50% of the amount, ₹2,49,68,994, has been released via DD No. 841466 dated 18.06.2025. The remaining amount will be released upon submission of the utilization certificate.
- The NHAI has also filed an affidavit before this Hon'ble Tribunal regarding the status of culvert construction on this stretch.

  A true copy of the letter dated 02.07.2025 is being annexed herewith as **Annexure-4**.

D. Clarification by Agra Municipal Corporation

- The Municipal Commissioner, Agra, vide its letter no. 466/D/ANA/2025 dated 07.07.2025 has clarified that the locations on Gwalior Highway experiencing waterlogging lie outside municipal limits and the responsibility for basic amenities rests with the Public Works Department and NHAI.

SNo 1364/2025
NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

A true copy of the letter dated 07.07.2025 is being annexed herewith as **Annexure-5**.

E. PWD Status and Repair Work

- That the Executive Engineer, PWD, Agra vide its letter no. 2856/5 M.G. dated 01.08.2025 has confirmed that the Agra-Gwalior NH-3 stretch from Rohta (Km 8) to Kakua (Km 12) was not handed over to PWD due to damage.
- Vide its letter it is further informed that NHAI has sanctioned ₹499.38 lakh for necessary repairs and ₹2.49 crore has already been allocated.
- It is also informed that due to heavy rainfall, the damaged portion of the road has been filled with the stones and made pothole-free. The traffic is running smoothly. When the weather becomes favourable, the repair work will be done on required portion of the road using Dense Bituminous Naked Dam (DBM), Bituminous Concrete (BC), Crack sealing and through Cement Concrete Pavement at some places.
- As per the information provided, in order to make arrangements for proper drainage of water on the said route, instruction have been given by the higher authorities for construction of large RCC track and other miscellaneous works etc. have been issued to the Project Director, U.P. Construction & Design Services, Unit-35, Agra.

A true copy of the letter dated 01.08.2025 is being annexed herewith as **Annexure-6**.

SMD/1364/2025
20/8/2025

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

F. Follow-up Meeting on Updated Status

- To assess the progress since the earlier meeting a review meeting was organized by the District Magistrate, Agra on 08.07.2025. Accordingly, minutes were issued vide letter no. 357/L-246/2025 dated 11.07.2025.

  A true copy of the Minutes of Meeting dated 11.07.2025 is being annexed herewith as **Annexure-7**.

G. Inspection of Residential Colonies

That in addition, site inspections were conducted by the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra, in respect of various residential colonies, based on the facts found during the inspections, a report was forwarded to the Chief Environmental Officer (Circle-4), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, recommending issuance of Show Cause Notices under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for:

(i) Obtaining consent certificates (Water/Air) and

(ii) Establishing sewage treatment plants for treatment of domestic sewage.

Issuance of show cause notices

Further, show-cause notices dated 19.8.2025 have been issued to the respective residential colonies. A true copy of the show cause notices dated 19.8.2025 is annexed herewith as **Annexure -8.**

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
GOVT OF INDIA

8. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state

that nothing material has been concealed therefrom.

9. That the above report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE ..20 DAY OF AUGUST, 2025 AT AGRA.

DEPONENT

S. No. A/1364/2025
Explained to Shri Amit Mishra
Read by posted as Regional officer
who understood the contents An
solemnly affirmed & declare on
Oath on 20/8/2025
At Agra
Identified by

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA
20/8/25

Anx-P/1

9 273

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0 एस0

यूनिट–35, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

0562 4001503

e-mail: cdsupjn35@gmail.com

नं0 798, सेक्टर–7 (जैन मंदिर के पास) आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा–282007

पत्रांक 261 / प्रा0आकलन / 46 दिनांक 11-06-2025

सेवा में

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, आगरा।

विषयः– जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिनांक 06.05.2025 को आहूत बैठक में जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त के अनुपालन में संदर्भित कार्य का प्रारम्भिक आगणन धनराशि रू0 10863.45 लाख का 02 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में ड्रेनेज हेतु मास्टर प्लान तैयार होने के उपरान्त योजना की डी0पी0आर0 प्रेषित किया जायेगा।

Sl.No.	Description	Amount (Rs. In LaKH)
1	Detailed Estimate of Construction R.C.C. Drain from Sewala Saray to Kakua Via Rohta Crossing at Both Side of Gwalior Road District Agra	10863.45

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, आगरा।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (चतुर्थ), सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (नि0–03 / नि0–11), सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5. श्री आदेश कुमार, स्थानिक अभियन्ता।

परियोजना प्रबन्धक

Anx-P/2

आगरा नगर निगम

फोन : +91-562-2850670
फैक्स : +91-562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com

274 10

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक : 362/D/EE-III/25 दिनांक : 16/6/2025

विषय : जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सेवला सराय से ककुआ नहर तक के क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन का निर्माण जनहित में कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–35, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्रांक 661/प्राक्कलन/46, दिनांक 11.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनांक रू. 10863.45 लाख का आगणन तैयार किया गया है। अवगत कराना है कि नगर निगम, आगरा की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नगर निगम, आगरा स्वयं के स्त्रोत से उक्त धनराशि वहन करने में सक्षम नही है।

अतः जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू. 10863.45 लाख के आगणन की प्रति एतद् पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त धनराशि नगर निगम, आगरा को अवमुक्त करने का कष्ट करें, जिससे कि नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त स्थल पर नाला का निर्माण कराया जा सके एवं आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

N.A. Mauu (01-06-2024)

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 विषयक बैठक का कार्यवृत्त :</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 06.05.2025 को सांय 06:30 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :–

सर्वश्रीः

1. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर।
4. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
7. अधिशाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा।
8. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 06.05.2025 को सम्पन्न बैठक में चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:–

1. आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा को विनियमित क्षेत्रांर्गत संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह होने के साथ साथ गुणवत्तापरक प्रचुर नगरीय जनसुविधाएँ प्रदान करने हेतु कटिबद्ध रहें। आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व जिला पंचायत आगरा के विनियमित क्षेत्रांर्गत अविकसित/विकसित आवासीय कालोनियों कें सीवरेज जल निकासी, सड़क अनुरक्षण, सफाई एवं कूड़ा निरतारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

   (कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा)

2. आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा को विनियमित क्षेत्रांर्गत अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।

   (कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा)

3. आगरा नगरीय क्षेत्रों में कतिपय कालोनाईजरों, सरकारी आवासीय समितियों तथा निजी भू-स्वामियों द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमि का उप-विभाजन कर एवं ले-आउट प्लान स्वीकृत कराए बिना कालोनियाँ निर्मित की जा रही, तो [illegible] में आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(कार्यवाही:- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा)

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा-ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर एंव प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा और नगर निगम, आगरा से समन्वय स्थापित कर सीवेरज जल निकासी हेतु त्वरित व्यवस्थता सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्थानिक निवासीगणो जनमानस के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ सके।

(कार्यवाही:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा-ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर एंव अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा और नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा)

5. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाये जाये जिसमें उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा ,उ0प्र0 कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ आगरा, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा-ग्वालियर मार्ग), अधिषाशी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आगरा सदस्य होंगे। जिनके द्वारा आगरा-ग्वालियर मार्ग पर रोहता से नगला मकरौल से ककुआ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ की सर्विस लेन के किनारे नाले (ड्रेनेज) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार कर प्रस्तुत की जाये। अबतक जो सूचनाये प्राप्त हैं या जो कार्य पूर्ण हो चुके है जैसे सीवरेज जल निकासी तथा सड़क की मरम्मत का कार्य की सूचना फोटोग्राफ्स के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण, आगरा द्वारा प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही:- नगर आयुक्त-नगर निगम, आगरा, उपाध्यक्ष- आगरा विकास प्राधिकरण, परियोजना निदेशक,उ0प्र0 कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा-ग्वालियर मार्ग), अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा)

6. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद आगरा से सम्बन्धित लम्बित वादों को जिला पर्यावरण समिति की बैठक में रखा जाये तथा वादों में कार्यवाही से सम्बन्धित विभागों का भी उल्लेख किया जाये।

(कार्यवाही:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

13 277

पत्रांक: 185/L-246/25 दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:– निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग / सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
4. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
6. अधिशषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा।
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर।
8. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, आगरा।
9. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
11. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
12. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी–81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)–474011

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
[illegible]/Phone : 0751-2231485, ई–मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

278 14

BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

[illegible] / पकाई–ग्वा. / आगरा–ग्वा.(8 से 13) / 2025 / 15942 दिनांक 02.07.2025

प्रति,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा (उ0प्र0)

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित आ0ए0 संख्या–338 / 2023 एवं ई0ए0 संख्या 34 / 2024 रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः (1) इस कार्यालय का ईमेल दिनांक 24.05.2025.
(2) आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 313 दिनांक 27.06.2025.

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में कृपया अपने कार्यालयीन पत्र दिनांक 27.06.2025 का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्तमान अवधि तक कृत कार्यवाही / अनुपालना के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

2. तदानुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई–ग्वालियर द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में यह अवगत किया जाता है कि यह प्रकरण जो कि रा.रा.–3 के किमी. 08+000 से 13+000 तक आगरा शहर की सड़क से संबंधित हैं एवं जिसका रख–रखाव पूर्व में भाराराप्रा द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अनुबंध दिनांक 28.10.2014 के मापदण्डो के अनुसार सुनिश्चित किया जा रहा था। भाराराप्रा के अनुबंध दिनांक 28.10.2014 की अवधि 01.05.2024 को समाप्त हो चुकी है, तथा आगरा शहर के लिये बायपास का निर्माण पूर्व में ही वर्ष 2016 में किया जा चुका है। अतः सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाईडलाइन दिनांक 30.11.1977, 12.04.1982 इत्यादि के अनुसार रा.रा.–3 के किमी. 08+000 से 13+000 का खण्ड वर्तमान में रा.रा. का हिस्सा नहीं रहा है एवं राज्य शासन को दिनांक 01.05.2024 से स्वतः ही हस्तांतरित हो चुका है।

3. तथापि, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. आगरा द्वारा वांछित रख–रखाव कार्य भी इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर सम्पन्न किये गये एवं स्थानीय जनता एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय द्वारा सड़क के उक्त खण्ड में गढ्डों की मरम्मत की जाकर, अत्यधिक जल भराव वाले स्थान पर लगभग 300 मी. लम्बाई में Pavement Quality Concrete (PQC) करा दिया गया (फोटोग्राफ संलग्न)।

4. यद्यपि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की उपरोक्त गाईडलाइन के अनुसार सड़क के उक्त भाग (किमी. 08+000 से किमी. 13+000) का राज्य शासन को स्वतः हस्तांतरण का प्रावधान होने के कारण, यह कार्यालय उक्त खण्ड में अतिरिक्त कार्य कराये जाने की स्थिति में नहीं था, तथापि औपचारिक हस्तांतरण से पूर्व अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि आगरा द्वारा उनके स्तर से सड़क के विषयांतर्गत भाग में आवश्यक मरम्मत कार्य किये जाने के लिए प्राक्कलन लागत रू0 499.38 लाख (जी.एस.टी. सहित) इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसे सक्षम प्राधिकारी भा.रा.रा.प्रा. से स्वीकृत किया जा कर, भा.रा.रा.प्रा. की पॉलिसी गाईडलाइन अनुसार वांछित राशि की 50 प्रतिशत **राशि रू. 2,49,68,994 / – (दो करोड़ उनंचास लाख अड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रूपये) इस कार्यालय द्वारा जमा किये जा चुके हैं तथा शेष राशि** का भुगतान भी उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत कर दिया जावेगा।

Head Office : Plot No. G-5-6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 Website : www.nhai.gov.in Phone : 011-25074100, 200
Regional Office : House No. 41, Aadarsh Nagar, Narmada Road, Jabalpur (M.P.) - 482008 E-mail : rojabalpur@nhai.org Phone : 0761-3585028

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी Building a Nation, Not Just Roads

15 279

5. प्रकरण में माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में, भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किए [illegible] उपरोक्त कार्यों/प्रगति की बस्तुस्थिति से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2025 को ईमेल (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय अधिकरण द्वारा भा.रा.रा.प्रा. को किमी 08+000 से किमी 13+000 तक के खण्ड में कलवर्ट निर्माण से संबंधित स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में भा.रा.रा.प्रा. द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए हलफनामा माननीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/07/25

(परियोजना निदेशक),
भा.रा.रा.प्रा–प.का.ई, ग्वालियर(म.प्र.)

प्रतिलिपि–

1. महाप्रबंधक (तक0) म.प्र. प्रभाग, भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी (प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा., प.का.ई.–आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. आगरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Naygar Nigam Agra
08.07.2025

Anx — P/5

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :— 466 /डी0 / ए0एन0ए0 / 2025 दिनांक :— 07 जुलाई, 2025

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 338 / 2023 एवं ई0ए0 सं0 34 / 2024 रविन्द्र सिंह बनाम् नेशनल हाई—वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र सं0 313 / एल0—246 / 2025 दिनांक 27.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्तमान अवधि तक की गयी कार्यवाही / अनुपालन की रिपोर्ट मा0 अधिकरण में ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु 01 सप्ताह में उपलब्ध करा दी जाये।

अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ दिनांक 06.05.2025 को बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक के कार्यवृत्त सं0 185 / एल—246 / 25 दिनांक 17.05.2025 सम्बन्धित विभागों को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जारी किया गया था। बैठक कार्यवृत्त में निम्न बिन्दुओं पर नगर निगम, आगरा की ओर से कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे :—

क0सं0	कार्यवृत्त में इंगित दिशानिर्देश बिन्दु	आख्या
1	**बिन्दु—4** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर एवं प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, आगरा और नगर निगम, आगरा से समन्वय स्थापित कर, सीवरेज जल निकासी हेतु त्वरित व्यवस्थता सुनिश्चित किया जाये, जिससे स्थानीय निवासीगणों जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।	अवगत कराना है कि ग्वालियर राजमार्ग स्थित जिन स्थलों बरसात के समय जलभराव होता है, वह स्थल नगर निगम, आगरा की सीमा से बाहर है। प्रश्नगत् मार्ग लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा—ग्वालियर मार्ग) के स्वामित्वाधीन मार्ग है, जिन पर समस्त मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागों के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आता है। **जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रदत निर्देशों के कम में जब भी उक्त मार्ग पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित विभागों के अनुरोध पर, मार्ग पर भरे पानी को सक्शन मशीन के माध्यम से हटाने का कार्य नगर निगम, आगरा द्वारा कराया जाता है।**

2	**<u>बिन्दु सं0–05</u>** नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी जाये, जिसमें उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा, उ0प्र0 कन्स्ट्रक्शन डिजाइन सर्विसेज, आगरा, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय, राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा ग्वालियर मार्ग), अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य होंगे। जिनके द्वारा आगरा ग्वालियर मार्ग पर रोहता से नगला मकरौल से ककुआ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ सर्विस लेन के किनारे (ड्रेनेज) निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार कर प्रस्तुत की जाये। अब तक जो सूचनाये प्राप्त हैं या जो कार्य पूर्ण हो चुके है जैसे सीवरेज, जल निकासी तथा सड़क की मरम्मत का कार्य की सूचना फोटोग्राफ के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा प्रस्तुत की जाये।	अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबंधक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा कार्यालय पत्र सं0 661/[illegible]/[illegible] दिनांक 11.06.2025 द्वारा जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन धनांक रू0 10863.45 लाख का प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त आगणन को कार्यालय पत्र सं0 362/डी0/ई0ई0–3/25 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन को स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 शासन से प्रश्नगत् कार्य की स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही, सी0एण्ड डी0एस0 इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के माध्यम से नाला निर्माण की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी **(सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।**

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

7/7/25

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा– 282001
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. AGRA-282001
E-mail- pwd123pd@gmail.com
pwdhelpline@gmail.com

Anx- P/6

282 18

पत्रांक 386/5M8

दिनांक 01/08/25

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या 14, सेक्टर–3बी,
आवास विकास योजना आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 338/2023 एवं ई0ए0 संख्या 34/2024 रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 313/एल–246/2025 दिनांक 27.06.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–3) ग्राम रोहता (किमी–8) से नगला माकरौल, इटौरा एवं ककुआ (किमी–12) तक में पूर्व में मार्ग का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तगत नहीं हुआ था। तत्क्रम में एन0एच0ए0आई0 द्वारा उक्त मार्ग के किमी–8.000 से 13.000 में आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु इस खण्ड को रु0 499.38 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा डी0डी0 संख्या–841466 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि रु0 249.68994 लाख का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा को आवंटन प्रदान किया गया है।

वर्तमान में अत्यधिक वर्षा होने के कारण विषयक मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में पत्थर भरवाकर मार्ग को गड्ढामुक्त करा दिया गया है। मार्ग पर यातायात सुचारु रुप से चल रहा है। मौसम अनुकूल होने पर मार्ग के आवश्यकतानुसार भाग में मरम्मत का कार्य डेन्स बिटुमिनस मेकेडम (डी0बी0एम0), बिटुमिनस कांक्रीट (बी0सी0), क्रैकसीलिंग तथा कुछ स्थानों पर सीमेन्ट कांक्रीट पेवमेन्ट द्वारा करा दिया जायेगा।

उक्त मार्ग पर जलभराव की उचित निकासी की व्यवस्था कराने हेतु वृहद आर0सी0सी0 ड्रैन निर्माण व अन्य विविध कार्य आदि हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, आगरा द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

संलग्नः–विषयक मार्ग के फोटोग्राफ्स।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,आगरा
दिनांकः

पत्रांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. उपाध्यक्ष महोदय, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी (वाद), आगरा।
5. अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार मार्ग पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को अविलम्ब निर्देशित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 आगरा

ASO 05/08/2025 JA 05/8/25 ASO

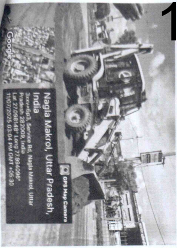

Google
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098148° Long 77.994096°
11/07/2025 03:04 PM GMT +05:30

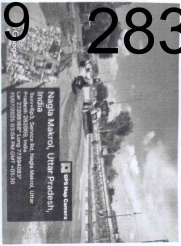

Google
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098168° Long 77.994083°
11/07/2025 03:04 PM GMT +05:30

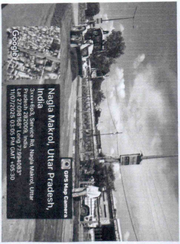

Google
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098168° Long 77.994083°
11/07/2025 03:05 PM GMT +05:30

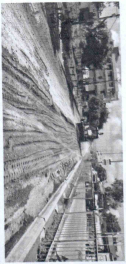

284 20

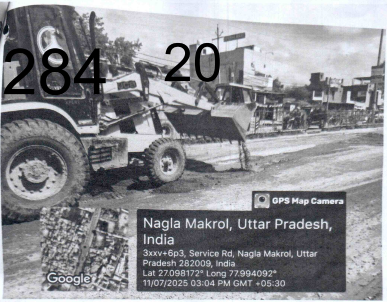
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098172° Long 77.994092°
11/07/2025 03:04 PM GMT +05:30
Google

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 विषयक बैठक दिनांक 08.07.2025 का कार्यवृत्त :

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 08.07.2025 को सांय 05:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :–

सर्वश्री:

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर के प्रतिनिधि।
4. स्थानीय अभियन्ता, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, यूनिट–35, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड, आगरा।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
7. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 06.05.2025 को सम्पन्न बैठक में जारी कार्यवृत्त दिनांक 17.05.2025 में प्रदत्त निर्देशो के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैः–

1. बैठक में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया आगरा गवालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–3) ग्राम–रोहता, (किमी0–08) से नगला माकरोल, इटौरा एवं ककुआ (कि0मी0–12 में से मात्र 5–कि0मी0) का विनियमित परिक्षेत्र आगरा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत निहित है, शेष जिला पंचायत, आगरा के अन्तर्गत आता है। आगरा विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत कॉलोनियों का स्थल निरीक्षण किया जा रहा है।

   इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व जिला पंचायत आगरा के विनियमित क्षेत्रांर्गत अविकसित/विकसित आवासीय कालोनियों में स्वीकृत ले–आउट प्लान/तलपट मानचित्र के आधीन पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य हो तथा सीवरेज जल निकासी, सड़क अनुरक्षण, सफाई एवं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्राधिकरण/जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आने वाले समस्त अनाधिकृत आवासीय/व्यवसायिक/ ग्रुप हाउसिंग के भवनों को चिन्हित कर अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु नियमानुसार सील करने एवं ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।

   (कार्यवाहीः– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिलापंचायत, आगरा)

286 22

2. आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा को विनियमित क्षेत्रांर्गत अवैध आवासीय/व्यवसायिक/ ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियां बसने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिलापंचायत, आगरा)

3. स्थानीय अभियन्ता, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, यूनिट–35, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ''जनपद आगरा के ग्वालियर रोड पर सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन धनराशि रू0–10863.45 लाख का वाह्य वास्तुविद से तैयार कर नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, आगरा को दिनांक 11.06.2025 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है एवं प्रारम्भिक आगणन की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, आगरा को प्रेषित की जा चुकी है।'' विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) का थर्ड पार्टी परीक्षण कराया जा रहा है परीक्षण आख्या प्राप्त होते ही बजट की मॉग हेतु (डी0पी0आर) शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, उ0प्र0 जल निगम नगरीय, आगरा को निर्देशित किया गया कि ग्वालियर रोड पर सेवला सराय से ककुआ नहर तक दोनों तरफ आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) एवं बजट की वित्तीय स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी स्तर से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी– परियोजना निदेशक,उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35,उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा)

4. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ग्वालियर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आगरा को राष्ट्रीय रा.रा.–3 के खण्ड किमी0 08+000 से 13+000 में आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु राशि रू0–499.38 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की स्वीकृत प्रदान की गयी है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पॉलिसी गाइडलाइन के अनुसार वाछित की राशि 50 प्रतिशत राशि रू0–249.68994 लाख अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा को प्रेषित कर दी गयी है तथा शेष राशि का भुगतान भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त कर दिया जायेगा। अग्रेतर ग्राम रौहता से नगला माकरौल से ककुआ तक मुख्य मार्ग पर आंशिक भाग पर लगभग 300 मी0 तक आर0सी0सी0 सड़क निर्माण करा दिया गया है व उक्त खण्ड में गड्डों को भरवा दिया गया है, अत्यधिक जल भराव वाले स्थान पर लगभग 300 मी0 लम्बाई में Pavement Quality Concrete (PQC) करा दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आगरा को निर्देशित किया गया है कि शेष 50 प्रतिशत राशि प्राप्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ग्वालियर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी– लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आगरा/नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ग्वालियर)

23 287

5. वर्ष ऋतु में राष्ट्रीय रा.रा.–3 के खण्ड किमी0 08+000 से 13+000 में जलभराव की निकासी हेतु समुचित प्रबंध जैसे– अस्थायी पम्पिंग सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी– जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

पत्रांक: 357/L-246/25

दिनांक: 11-07-2025

प्रतिलिपि:–निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
4. अधिशषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, आगरा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषणनियंत्रणबोर्ड, आगरा।
8. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।

Anex- P

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H-31683 / सी-4 / सा- ।।-1117 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक : 19/8/25

मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी,
खसरा संख्या-813 से 817, 819 से 821 एवं 824 मौजा-रौहता,
जनपद-आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0-34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 892/डी/भवन/2025-26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री प्रमोद सिंह चौहान सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी, खसरा संख्या-813 से 817, 819 से 821 एवं 824 मौजा-रौहता, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.07.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री अजय कुमार उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 225 प्लॉट/भूखण्ड आवासित (35 नग ग्राउण्ड फ्लोर एवं 20 नग G+1) है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 323/एल0-246/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0-447/एल0-246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी, खसरा संख्या-813 से 817, 819 से 821 एवं 824 मौजा-रौहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी, खसरा संख्या-813 से 817, 819 से 821 एवं 824 मौजा-रौहता, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन-स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन-स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी, खसरा संख्या-813 से 817, 819 से 821 एवं 824 मौजा-रौहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स विनायक टाउन कॉलोनी, खसरा संख्या-813 से 817, 819 से 821 एवं 824 मौजा-रौहता, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

ceo4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H-31684 / सी–4 / सा– I I–1116 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक : 19/8/25

मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी,
खसरा संख्या–142 मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338 / 2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34 / 2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 876 / डी / भवन / 2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री देव करन सिंह सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी, खसरा संख्या–142 मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री तेज सिंह एवं अशोक फौजदार उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 50 प्लॉट / भूखण्डों मे से 40 आवासित है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 296 / एल0–246 / 2025 दिनांक 20.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–437 / एल0–246 / 25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी, खसरा संख्या–142 मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति / सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी, खसरा संख्या–142 मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी, खसरा संख्या–142 मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स सिल्वर वैली कॉलोनी, खसरा संख्या–142 मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल / अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

ceo4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H:31686 / सी–4 / सा– I I–1114 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक : 19/8/25

मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी,
खसरा संख्या–74, मौजा–नैनाना जाट,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338 / 2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34 / 2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 878 / डी / भवन / 2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–74, मौजा–नैनाना जाट, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.07.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री पीयूष त्यागी उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 62 प्लॉट / भूखण्डों मे से लगभग 20 प्लॉट / भूखण्ड आवासित है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 392 / एल0–246 / 2025 दिनांक 23.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–439 / एल0–246 / 25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–74, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति / सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–74, मौजा–नैनाना जाट, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–74, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

"यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–74, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरुद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल / अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H31688 /सी–4/सा–।।–1108 /का0ब0नो0/2025 दिनांक : 19/08/25

मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी,
खसरा संख्या–52, 53, मौजा–रोहता,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 885/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री विनीत मित्तल को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी, खसरा संख्या–52, 53, मौजा–रोहता, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुन्दर सिंह एवं श्री लाखन चन्दन उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 25 नग (02 मंजिल) भवन स्थित है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 305/एल0–246/2025 दिनांक 26.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–435/एल0–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी, खसरा संख्या–52, 53, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी, खसरा संख्या–52, 53, मौजा–रोहता, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी, खसरा संख्या–52, 53, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

"यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स गौरी कुन्ज कॉलोनी, खसरा संख्या–52, 53, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H-31682 / सी–4 / सा– ।।–1118 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक : 19/08/25

मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी,
खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट,
आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338 / 2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34 / 2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 876 / डी / भवन / 2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री देव करन को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजकुमार चाहर उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 50 प्लॉट है जिसमें 02 नग आवासीय भवन (G+1), 48 नग निर्माण कार्य शेष है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 359 / एल0–246 / 2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से पत्र सं0–442 / एल–246 / 25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति / सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नही किये जाने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

"यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही "यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने एवं निर्माण कार्य रोके जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल / अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

ceo4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक :-H-31687 / सी–4 / सा– I I–1113 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक :- 19/8/25

मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी,
खसरा संख्या–753, भाग–755,756, एवं 757 मौजा–रोहता,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338 / 2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34 / 2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 891 / डी / भवन / 2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री महेश अग्रवाल को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, खसरा संख्या–753, भाग–755,756, एवं 757 मौजा–रोहता, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री राज कुमार एवं श्री घनश्याम उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 03 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग (G+9) जिसमे लगभग 400 फ्लैट है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 304 / एल0–246 / 2025 दिनांक 26.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–438 / एल0–246 / 25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, खसरा संख्या–753, भाग–755,756, एवं 757 मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति / सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, खसरा संख्या–753, भाग–755,756, एवं 757 मौजा–रोहता, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, खसरा संख्या–753, भाग–755,756, एवं 757 मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

"यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, खसरा संख्या–753, भाग–755,756, एवं 757 मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल / अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक :- H-31685 /सी–4/सा–||–1115 /का0ब0नो0/2025 दिनांक :- 19/8/25

मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी,
खसरा संख्या–43,44,46 एवं 47 भाग, मौजा–रोहता,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 882/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री नितिन कुमार अग्रवाल को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी, खसरा संख्या–43,44,46 एवं 47 भाग, मौजा–रोहता, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री गुलशन कुमार एवं श्री जी0डी0 लवनिया उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 52 प्लॉट/भूखण्डों मे से 48 प्लॉट/भूखण्ड (30 ग्राउण्ड फ्लोर एवं 18 G+1) आवासित है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 325/एल0–246/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–446/एल0–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी, खसरा संख्या–43,44,46 एवं 47 भाग, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी, खसरा संख्या–43,44,46 एवं 47 भाग, मौजा–रोहता, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी, खसरा संख्या–43,44,46 एवं 47 भाग, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स द्वारिका रेजीडेंसी कॉलोनी, खसरा संख्या–43,44,46 एवं 47 भाग, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H:31609 /सी–4/सा–।।–1107 /का0ब0नो0/2025 दिनांक : 19/8/25

मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी,
खसरा संख्या–429,430 एवं 431, मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 893/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री उमेश शर्मा को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–429,430 एवं 431, मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 16.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश कुमार एवं श्री एस0पी0 उपाध्याय उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 92 नग आवासीय भवन स्थित है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 306/एल0–246/2025 दिनांक 26.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–440/एल0–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–429,430 एवं 431, मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–429,430 एवं 431, मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–429,430 एवं 431, मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स सैंथिया स्टेट कॉलोनी, खसरा संख्या–429,430 एवं 431, मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H-31690 / सी–4 / सा–II–1106 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक : 19/8/25

मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी,
खसरा संख्या–56 एवं 58 बमरौली रोड, मौजा–रोहता,
जनपद–आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक 888/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री अखिल गोयल को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, खसरा संख्या–56 एवं 58 बमरौली रोड, मौजा–रोहता, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री गुड्डू रावत उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 100 प्लॉट/भूखण्ड है जिसमे से 80 प्लॉट/भूखण्ड, आवासित (40 नग G+1 एवं 40 नग G+2) है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक 326/एल0–246/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–443/एल0–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, खसरा संख्या–56 एवं 58 बमरौली रोड, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, खसरा संख्या–56 एवं 58 बमरौली रोड, मौजा–रोहता, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक के अनुक्रम में मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, खसरा संख्या–56 एवं 58 बमरौली रोड, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

"यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मैसर्स द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, खसरा संख्या–56 एवं 58 बमरौली रोड, मौजा–रोहता, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक :- H:31691 /सी–4/सा– ।।–1109 /का0ब0नो0/2025 दिनांक :- 19/8/25

मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी,
खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग,
मौजा–नैनानाजाट, आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक–877/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री दौलतराम को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग, जनपद–आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री के0वी0एस0 चौहान एवं श्री संग्राम सिंह (मो0नं0–8941822298) उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 46 प्लॉट/भूखण्ड है जिसमें 24प्लॉट/भूखण्ड आवासित (09 नग ग्राउण्ड फ्लोर एवं 15 नग G+1) हैं। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी ह, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक–327/एल0–246/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–445/एल0–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग, जनपद–आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग, जनपद–आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 12.08.2025 के अनुक्रम में मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग, जनपद–आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

"यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग, जनपद–आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H-31694/सी–4/सा– ।।–1112/का0ब0नो0/2025 दिनांक : 19/8/25

मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी,
खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट,
आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक–874/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री राहुल जैन को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय को स्थलीय सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धी आशय के साथ पृष्ठांकित है।

यह कि तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा आवासीय परियोजना मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.06.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश शर्मा एवं श्री सुदर्शनदास (मो0नं0–9412473713) उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में 28 नग आवासीय (02 मंजिल) भवन स्थित है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–307/एल0–246/2025 दिनांक 26.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से प्राप्त पत्र सं0–441/एल–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से प्राप्त आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 12.08.2025 के अनुक्रम में मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत क्यों न पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक :H-31693../सी–4/सा–।।–1110 /का0ब0नो0/2025 दिनांक :.19/08/25

मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी,
खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड,
आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक–872/डी/भवन/2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री गोविन्द सिंह को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से पृष्ठांकित है कि इकाई का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही जाए।

यह कि उक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासीय परियोजना मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री करन सिंह एवं श्री मेहताब सिंह चाहर (मो0नं0–9897983621) उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 40नग प्लाट/भू–खण्ड आवासित (दो मंजिल भवन) है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 का स्पष्ट उल्लघंन है। जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक–281/एल0–246/2025 दिनांक 19.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0–436/एल0–246/25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 12.08.2025 के अनुक्रम में मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, जनपद–आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :
1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल/अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ 226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

ceo4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक : H-31692 / सी–4 / सा– I I–1111 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक : 19/8/25

मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी,
खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट,
ग्वालियर रोड, आगरा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338 / 2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34 / 2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्रांक–880 / डी / भवन / 2025–26 दिनांक 30.05.2025 जोकि मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, के विकासकर्ता श्री गोविन्द सिंह को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय कार्यालय को स्थलीय सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धी आशय के साथ पृष्ठांकित है।

यह कि तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा आवासीय परियोजना मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, आगरा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री तेज सिंह (मो0नं0–8449794320) एवं श्री नाहर सिंह (मो0नं0–9759862672) उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय कॉलोनी में कुल 100 प्लॉट / भू–खण्ड में से 50 प्लाटें / भू–खण्ड आवासित (दो मंजिल भवन) है। आवासीय कॉलोनी के घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप उत्पन्न घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं किया गया है तथा आवासीय कॉलोनी की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति नहीं प्राप्त की गयी है, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–295 / एल0–246 / 2025 दिनांक 20.06.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु परियोजना द्वारा पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जोकि उक्त वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन दर्शाता है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से प्राप्त पत्र सं0–433 / एल–246 / 25 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से प्राप्त आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति / सहमति प्राप्त न करने तथा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था न करने के कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, आगरा द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन–स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में जन–स्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए संचालन को रोका जाए।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक 12.08.2025 के अनुक्रम में मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, आगरा के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अंतर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

> "यह कि क्यों न आवासीय परियोजना मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड, आगरा के विरूद्ध राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत क्यों न पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक यथा न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष जुर्माना (Penalty) अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत आवासीय परियोजना के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संदर्भित इकाई के द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त किये बिना एवं समुचित शोधन व्यवस्था स्थापित किये बिना निर्माण कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर तत्काल / अविलम्ब इकाई की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

Gmail

Ashutosh Tiwari <ashu.tiwari9205@gmail.com>

Service of Reply filed by UPPCB

Ashutosh Tiwari <ashu.tiwari9205@gmail.com> Wed, Aug 20, 2025 at 6:46 PM
To: agra@nhai.org, "support@adaagra.org.in" <support@adaagra.org.in>, upagr@nic.in, "jadonchetan969@gmail.com" <jadonchetan969@gmail.com>

Sir,
I am serving you with the advance copy of the Reply filed by UPPCB in Execution Application No. 34/2024 in OA No. 338/2023 titled "Ravendra Singh Vs NHAI & Ors." being filed before the National Green Tribunal.

Regards,
Adv. Aditya vaibhav Singh
Counsel UPPCB
A-394, defence colony, New Delhi- 110024

Reply on behalf of UPPCB Ravendra Singh Vs NHAI.pdf
10091K